न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 595 / 2023

अनवान :- –

1. निर्मला देवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागा देवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शांती देवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। (फौत)

   3 / 1. प्रदीप पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

– **वादीगण**

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पार्वती पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. श्योदतराम पुत्र तुछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. दानाराम पुत्र निकुराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–**प्रतिवादीगण**

7. सत्यनारायण पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. आन्नदी पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. इन्द्र कुमार पुत्र शांति देवी जांति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. कमला पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. लक्ष्मी पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. रामकिशन पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

    13 / 1– उर्मीला पुत्री रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

    13 / 2– देवेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

    13 / 3– मीना पुत्री रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

    13 / 4– रेखा पुत्री रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
14. यशोधा पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

    14 / 1– ज्योति पुत्री यशोधा जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

    14 / 2– राजकुमारी पुत्री यशोधा जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested

दावा ब[illegible] अ[illegible]त धारा 88, 188 राजस्थान [illegible]काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. [illegible] रविन्द्र कुमार गोदा[illegible]वक्ता **वादी**

2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांकः 02/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनढ़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता ख्या 222/202 के खसरा नं. 721/1011 की 1.2650 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के म दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 223/203 के खसरा नं. 21/8 की 0.5060 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्डाधिकारी महोदय नोहर के निर्णय में खसरा नं. 721 के विभाजन की डिक्री जारी की गई उक्त डिक्री की पालना में उक्त खसरा की तरमीम मुताबिक विभाजन, जरिया नक्शा व आदेशानुसार न होकर सहवन गलत दर्ज हो गई जिसको मुताबिक डिक्री व मौका नक्शानुसार दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। खसरा नं. 721 का नक्शा सहवत गलत तरमीम हो चुका है जिसमें उत्तर पश्चिम कोने में दानाराम के 2 बीघा भूमि दर्ज होनी थी जबकि नजरिया नक्शा में उत्तरी पश्चिमी कोने में दानाराम के 2 बीघा भूमि की जगह नर्बदा देवी आदि को भू नक्शा में दर्शाया गया है और नर्बदा देवी की जगह दानाराम को दर्शाया गया है जबकि विभाजन में दानाराम के पूर्व में नर्बदा देवी आदि दर्शित है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने की अधिकारी है यही विनाय दावा है। खसरा नं. 721/1011 की 5 बीघा भूमि जो कि उक्त खसरों से अलग दानाराम के नाम उत्तर दिशा में दर्ज था जिसका स्थान बरवक्त सेगरीगेशन (तरमीम) में परिवर्तित कर दिया गया व जिसके पश्चात नामान्तरण संख्या 4151 मंजूर हुआ जिससे दानाराम की जगह तुलछाराम पुत्र निकुराम काश्तकार दर्ज हुआ जो कि रिकार्ड में खाता संख्या 222 में दर्ज है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 275/251 के खसरा नं. 721/9 की 1.5180 है0 भूमि व खाता संख्या 222/202 के खसरा नं. 721/1011 की 1.2650 है० भूमि का विभाजन उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय के अनुसार स्वीकार कर लेवे व नक्शा की तरमीम दुरूत करवा ले तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे आखिरकार दिनांक 25.06.2023 को बमुकाम सोनड़ी तहसील नोहर साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखास्मत हैं।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जावे कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 275/251 के खसरा नं. 721/9 की 1.5180 है० भूमि व खाता संख्या 222/202 के खसरा नं. 721/1011 की 1.2650 है० भूमि व खाता संख्या 223/203 के खसरा नं. 721/8 की 0.5060 है० भूमि का विभाजन उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय [illegible] मुताबिक तजबीज तकसीम के अनुसार नक्शा दुरूत कर नक्शा की तरमीम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की एक वाद दानाराम बनाम विजय कुमार वाद स0 197/2008 पेश हुआ जो की दिनांक 30.06.211 को अंतिम डिक्री किया गया जिसमें वादीयान बतौर प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 थे एवं उक्त डिक्री की पालना हुई है आज वादीया उक्त निर्णय व डिक्री को इस दावा से निरस्त नही करवा सकती है। दिनांक 30.06.2011 की पूर्व स्थिति बहाली हेतु प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी जैरकार है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम भूमि दर्ज हुई है वादियान ने निर्णय दिनांक 30.06.2011 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय को उक्त वाद की आड मे निरस्त करवाना चाहती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीयान का वाद खारिज फरमावे।

वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रति जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 खाता स0 222, 223, 275 ईएक्सपी–1 ता 3, रोही मौजा सोनड़ी ख0न0 721 नजरी नक्शा ईएक्सपी–4, नजरी नक्शा ख0न0 721/2 ईएक्सपी–5, रिपोर्ट हल्का पटवारी सोनड़ी ईएक्सपी–6, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 2165 पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीयान ने बहस में निवेदन किया की उपखण्डाधिकारी महोदय नोहर के निर्णय में खसरा नं. 721 के विभाजन की डिक्री जारी की गई उक्त डिक्री की पालना में उक्त खसरा की तरमीम मुताबिक विभाजन, जरिया नक्शा व आदेशानुसार न होकर सहवन गलत दर्ज हो गई जिसको मुताबिक डिक्री व मौका नक्शानुसार दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। खसरा नं. 721 का नक्शा सहवत गलत तरमीम हो चुका है जिसमें उत्तर पश्चिम कोने में दानाराम के 2 बीघा भूमि दर्ज होनी थी जबकि नजरिया नक्शा में उत्तरी पश्चिमी कोने में दानाराम के 2 बीघा भूमि की जगह नर्बदा देवी आदि को भू नक्शा में दर्शाया गया है और नर्बदा देवी की जगह दानाराम को दर्शाया गया है जबकि विभाजन में दानाराम के पूर्व में नर्बदा देवी आदि दर्शित है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने की अधिकारी है यही विनाय दावा है। खसरा नं. 721/1011 की 5 बीघा भूमि जो कि उक्त खसरों से अलग दानाराम के नाम उत्तर दिशा में दर्ज था जिसका स्थान बरवक्त सेगरीगेशन (तरमीम) में परिवर्तित कर दिया गया व जिसके पश्चात नामान्तरण संख्या 4151 मंजूर हुआ जिससे दानाराम की जगह तुलछाराम पुत्र निकुराम काश्तकार दर्ज हुआ जो कि रिकार्ड में खाता संख्या 222 में दर्ज है अत मुताबिक डिक्री दर्ज किया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की एक वाद दानाराम बनाम विजय कुमार वाद स0 197/2008 पेश हुआ जो की दिनांक 30.06.211 को अंतिम डिक्री किया गया जिसमें वादीयान बतौर प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 थे एवं उक्त डिक्री की पालना हुई है आज वादीया उक्त निर्णय व डिक्री को इस दावा से निरस्त नही करवा सकती है। दिनांक 30.06.2011 की पूर्व स्थिति बहाली हेतु प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी जैरकार है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम भूमि दर्ज हुई है वादियान ने निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिनांक 30.06.2011 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय को उक्त वाद की आड मे निरस्त करवाना चाहती है। वादीयान का वाद खारिज फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों । एवं वादीयान व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अवलोकन किया। वादीयान का कथन है कि उपखण्डाधिकारी महोदय नोहर के निर्णय में खसरा नं. 721 के विभाजन की डिक्री जारी की गई उक्त डिक्री की पालना में उक्त खसरा की तरमीम मुताबिक विभाजन, जरिया नक्शा व आदेशानुसार न होकर सहवन गलत दर्ज हो गई जिसको मुताबिक डिक्री व मौका नक्शानुसार दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। खसरा नं. 721 का नक्शा सहवत गलत तरमीम हो चुका है जिसमें उत्तर पश्चिम कोने में दानाराम के 2 बीघा भूमि दर्ज होनी थी जबकि नजरिया नक्शा में उत्तरी पश्चिमी कोने में दानाराम के 2 बीघा भूमि की जगह नर्बदा देवी आदि को भू नक्शा में दर्शाया गया है और नर्बदा देवी की जगह दानाराम को दर्शाया गया है जबकि विभाजन में दानाराम के पूर्व में नर्बदा देवी आदि दर्शित है जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि दिनांक 30.06.2011 को पारित डिक्री के अनुसार ही सभी के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है एवं उसी के मुताबिक तरमीम है लेकिन वादीयान के कथनों की पुष्टि तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोट क्रमांक 14128 दिनांक 11.12.2023 होती है तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान ऑनलॉईन नक्शा मुताबिक पर्चा डिक्री के अनुसार नही है एवं मुताबिक पर्चा डिक्री अनुसार किया जाना उचित है एवं वादीयान द्वारा प्रस्तुत ईक्सपी 8 नजरी नक्शा वर्तमान ऑनलाईन नक्शा में दर्ज नही है। अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तहसीदार के रिपोर्ट क्रमांक 14128 दिनांक 11.12.2023 के अनुसार डिक्री किया जाता है एवं यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार के मौका रिपोर्ट क्रमांक 14128 दिनांक 11.12.2023 को निर्णय का भाग समझा जावें। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक ....02/12/25.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 595 / 2023
अनवान : –

1. निर्मला देवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागा देवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. शांती देवी पुत्री निकुराम जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। (फौत)
   3/1. प्रदीप पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

– **वादीगण**

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पार्वती पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. श्योदतराम पुत्र तुछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. दानाराम पुत्र निकुराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

7. सत्यनारायण पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. आन्नदी पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. इन्द्र कुमार पुत्र शांति देवी जांति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. कमला पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. लक्ष्मी पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. रामकिशन पुत्र शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
    13/1– उर्मीला पुत्री रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
    13/2– देवेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
    13/3– मीना पुत्री रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
    13/4– रेखा पुत्री रामकिशन जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
14. यशोधा पुत्री शांति देवी जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
    14/1– ज्योति पुत्री यशोधा जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।
    14/2– राजकुमारी पुत्री यशोधा जाति भाट निवासी नोहर तहसील नोहर ।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 595 सन 2023 निर्णय दिनांक 02/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजपाल झोरड़ की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तहसीदार के रिपोर्ट क्रमांक 14128 दिनांक 11.12.2023 के अनुसार डिक्री किया जाता है एवं यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार के मौका रिपोर्ट क्रमांक 14128 दिनांक 11.12.2023 को निर्णय का भाग समझा जावें। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....02/12/25.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested